

## भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया

### Amendment Process in Indian Constitution

• संविधान संशोधन की प्रक्रिया → समय के साथ संविधान के प्रावचनों का संशोधन होता रहता था। अन्यथा वह घटना नहीं सकती। प्रकृति से संविधान नमनशील भा भवीला होता है। अदि अह पुणाली सरल है। तो अपनी प्रकृति से संविधान नमनशील भा भवीला होता है। संशोधन का बिल संसद से साचारण बहुमत से पास होकर राज्यावधान का अनुभाव पाकर कानून बन जाता है। संशोधन का बिल संसद से साचारण बहुमत से पास होकर संसद द्वारा निर्मित साचारण भा भवीला निर्माण विधि में अन्तर नहीं होता। बिहिश संविधान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अदि अह संशोधन, पुणाली बहुत कठिन है। तो अपनी प्रकृति से संविधान कठोर हो जाता है।

संविधान की संशोधन पुणाली का उदाहरण करते से भद्र विद्वित होता है कि इसमें भवीलापन व कठोरता का उद्भव मिलता है।

इसके कुछ प्रावचनों को संसद साचारण बहुमत से बिल पास करके बदल सकती है। कुछ प्रावचनों को संसद बदल सकती है। जैसा यह बिल होना सहनों में विशेष बहुत से कम भाव राज्यों का समयन में मिलना चाहिए, उपर्युक्त की बात संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

इस संविधान की आपनी विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। हम भारत के लोगों ने भारत के लोडों के लिए बनाया है।